



प्रेस नोट - दिनांक 06.08.2026

थाना औरास, जनपद उन्नाव ।

चोरी के मोबाइल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में थाना औरास पुलिस द्वारा चोरी के मोबाइल के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.08.2026 को वादी श्री चरन लाल पुत्र पुत्तू लाल नि० ग्राम शिवपुरी म० टिकरा सामद थाना औरास उन्नाव की तहरीर के आधार पर थाना औरास पर मु०अ०सं०- 194/2026 धारा 305 बीएनएस बनाम अविनाश सिंह चौहान पुत्र रमेश सिंह चौहान निवासी मोहल्ला बादल खेड़ा जनता बिहार थाना पारा जनपद लखनऊ पंजीकृत किया गया था। उ०नि० श्री उपेन्द्र कुमार पटेल मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अविनाश सिंह चौहान पुत्र रमेश सिंह चौहान उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मोहल्ला बादल खेड़ा जनता बिहार थाना पारा जनपद लखनऊ को माखन खेड़ा चौराहा मवई कला रोड़ से मय चोरी के एक अदद मोबाइल कम्पनी लावा (LAVA) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 305(a)/317(2) की बढोत्तरी की गयी।

नाम पता अभियुक्त-

अविनाश सिंह चौहान पुत्र रमेश सिंह चौहान उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मोहल्ला बादल खेड़ा जनता बिहार थाना पारा जनपद लखनऊ

बरामदगी:-

एक अदद मोबाइल कम्पनी लावा (LAVA)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ०नि० श्री उपेन्द्र कुमार पटेल

02. का० अमित कुमार





प्रेस नोट - दिनांक 06.08.2026

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव ।

वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 06.08.2026 को उ0नि0 श्री अनिल कुमार त्रिपाठी मय हमराह पुलिस बल द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज कोर्ट सं0 11/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट उन्नाव के केश नं0. 694/2024 मु0अ0सं0 255/2018 धारा 354(क), 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संजीत कुमार पुत्र रामसुमेर उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना अचलगंज उन्नाव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

नाम पता अभियुक्त-

संजीत कुमार पुत्र रामसुमेर उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना अचलगंज उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1 उ0नि0 श्री अनिल कुमार त्रिपाठी
2. का0 शिवम यादव



प्रेस नोट - दिनांक 06.08.2026
थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव ।

फ्रॉड की गई 30,000 रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा फ्रॉड की गई 30,000 रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03.06.2026 को श्री सुभाष पुत्र श्री मुन्नू लाल निवासी ग्राम व थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव के खाते से 95,000/- रुपये का फ्राड हो गया था । जिसके सम्बन्ध में सुभाष उपरोक्त ने साइबर हेल्प लाइन 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई । आज दिनांक 06.08.2026 को साइबर क्राइम हेल्प डेस्क टीम थाना सोहरामऊ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में कुल 30,000 रुपये की धनराशि सकुशल वापस कराई गयी ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्र०नि० श्री अरविन्द पाण्डेय
- 2.एस०एस०आई श्री नरेन्द्र प्रताप
- 3.म०क०आ० किरन वर्मा
- 4.का० सत्यपाल सिंह